संख्या-28/2016/273/22-4-16-48(42)12

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-29 मार्च, 2016

विषय- जिला कारागार मेरठ, बस्ती, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रामपुर एवं खीरी में शौचालयों के निर्माण तथा केन्द्रीय कारागार बरेली में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु निर्गत मूल स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6365/नम-3/शौचा0/2015, दिनांक 02 मार्च, 2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 155/2015/880/22-4-15-48(16)/14, दिनांक 31.07.2015, शासनादेश संख्या-187/2015/1205/22-4-15-48(16)/14, दिनांक 21.09.2015, शासनादेश संख्या- 167/2015/979/22-4-15-48(16)/14, दिनांक 20.08.2015, शासनादेश संख्या- 41/2015/1641/22-4-14-48(40)/12टीसी, दिनांक 13.02.2015 एवं शासनादेश संख्या- 1102/22-4-14-48(42)/12, दिनांक 09.12.2014 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार मेरठ, बस्ती, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रामपुर एवं खीरी में दिन शौचालयों के निर्माण तथा केन्द्रीय कारागार बरेली में एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु निर्गत मूल स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के कालम-6 में अंकित अवशेष धनराशि, जिसका कुल योग रू0 7,05,55,500/-( रूपया सात करोड़ पॉच लाख पचपन हजार पॉच सौ मात्र) है, की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

( धनराशि लाख रूपये में)

| क्र0 | कारागार का नाम | शौचालयों के ब्लाकों की संख्या ( 01 ब्लाक में 08 दिन शौचालय, सैप्टिक टैंक व सोकपिट कानिर्माण) | कुल स्वीकृत लागत | कुल अवमुक्त धनराशि | अवशेष स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जिला कारागार मेरठ | 32 | 314.88 | 125.94 | 188.94 |
| 2 | जिला कारागार बस्ती | 07 | 68.88 | 27.56 | 41.32 |
| 3 | जिला कारागार बाराबंकी | 07 | 68.88 | 27.56 | 41.32 |
| 4 | जिला कारागार सुल्तानपुर | 13 | 127.92 | 51.16 | 76.76 |
| 5 | जिला कारागार रामपुर | 03 | 29.70 | 11.88 | 17.82 |
| 6 | जिला कारागार खीरी | 04 | 20.87 | 20.64 | 0.23 |
| 7 | केन्द्रीय कारागार बरेली | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना | 823.49 | 484.325 | 339.165 |
| | योग- | 66 | 1454.62 | 749.065 | 705.555 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 31.07.2015, 21.09.2015, 20.08.2015, 13.02.2015 एवं 09.12.2014 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से व्यवस्थित (प्रति संलग्न) धनराशि रू0 7,05,56,000/-( रूपया सात करोड़ पॉच लाख छप्पन हजार मात्र) में से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

<u>संख्या-28/2016/273(1)/22-4-16-तददिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6) जिलाधिकारी, मेरठ, बस्ती, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रामपुर, खीरी एवं बरेली।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in